कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्रा0शि0परिषद सम्बद्धता/2022/0817 लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञाप

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की शिक्षा समिति, नई दिल्ली, आयोग कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निर्गमित शासनादेश एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता सम्बन्धित निरीक्षण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- [illegible] को शिक्षा कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता एवं पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार, सम्बद्धता प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बन्धित निरीक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नवत शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2282 BHOMWAL SCHOOL OF ENGINEERING

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 डी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/डी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 2002, विनियमावली 2010, रेमेडियल विनियमावली-2011 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुपालन करेगी तथा शासन/परिषद समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रू0 45000.00/- प्रतिवर्ष तथा दो वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा (दो वर्षीय पार्टटाईम पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश के समय से प्राप्त किया जायेगा। अभ्यर्थी के अतिरिक्त छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश अपनाये जायेंगे, और फ्रीशिप वालों को किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। यदि निर्धारित अवधि तक 75% सत्र 2022-23 हेतु सीटें का प्रवेश किया जाता है, तो शेष सीटें समाप्त कर दी जाएंगी।

✓ संस्था में कार्यरत प्रवक्ता परीक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवक्ता की श्रेणी में रखे जायेंगे।

✓ [illegible] के समय [illegible] के निर्गत [illegible] के अनुरूप [illegible] एवं [illegible] शुल्क [illegible] करना होगा।

✓ [illegible] उत्तर प्रदेश [illegible] द्वारा निर्गत [illegible] एवं निदेशक, [illegible] शिक्षा, [illegible], [illegible] तथा [illegible] शिक्षा, [illegible], [illegible] के समय-समय पर नियमों, [illegible] एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य [illegible] है।

✓ यदि संस्थान का [illegible] से अनुपालन नहीं किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा तथा वे स्वयं स्तर से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतिवेदन शिक्षा परिषद, लखनऊ प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं राज्य प्राविधिक विश्वविद्यालय [illegible] बिन्दु यदि कोई बात प्रकाश में आती है तो संस्था के संबंध में [illegible] प्रकार की [illegible] कार्यवाही अपेक्षित किया जाता है तो संस्था प्रतिभूति संबंधित संस्था की होगी।

✓ संस्था को अपने स्थायित्व प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ प्रवेश [illegible] के द्वारा जनपद की प्रवेश हेतु आयोजित [illegible] प्राप्त करने के पूर्व [illegible] के अनुमोदन [illegible] तक प्रवेश [illegible] की [illegible] होगा। संस्था उक्त प्रवेश की [illegible] के माध्यम से प्रवेश [illegible] के आधार पर [illegible] अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

✓ उक्त प्रवेश [illegible] प्रवेश हेतु [illegible] पर [illegible] नियमों का अनुपालन करना [illegible] होगा।

✓ संस्था को अपने [illegible] पर संस्था की समस्त गतिविधियों की [illegible] भूमि, भवन, [illegible], उपकरण, प्राप्त किया गया [illegible], [illegible] आदि का विवरण [illegible] होगा।

✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त [illegible] उपलब्ध कराने के साथ [illegible] संसाधन के प्रमाण भी संस्था आवश्यक [illegible] सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में [illegible] के लिए [illegible] की बनाये जाने हेतु निर्धारित [illegible] के समक्ष [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] इत्यादि का [illegible] किसी अन्य [illegible] के संबंध में [illegible] किया गया है और परिषद को इसकी [illegible] होती है कि [illegible] उपरोक्त का [illegible] किसी अन्य कार्य के लिए [illegible] है तो [illegible] की [illegible] की जायेगी।

✓ संस्था के [illegible] निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में [illegible], [illegible], [illegible] एवं अन्य [illegible] [illegible] के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की मान्यता तत्काल वापस ली जायेगी।

✓ मान्यता शर्तों का अनुपालन न किये जाने, [illegible] का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एस0एन0 खान)

सचिव

पृष्ठांकन- [illegible]/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:

[illegible] प्राचार्य/निदेशक BHONWAL SCHOOL OF ENGINEERING

(एस0एन0 खान)

सचिव

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- प्रा०शि०प०/सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

-: कार्यालय ज्ञाप :-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/अस्थायी विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। [illegible] सत्र 2021-22 हेतु [illegible] संस्थाओं को सम्बद्धता [illegible] सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/अस्थायी विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:

संस्था का कोड एवं नाम : **2262-BHONWAL SCHOOL OF ENGINEERING, NATKUR BIJNOUR, BANTHRA ROAD, LUCKNOW**

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	[illegible]	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	ELECTRICAL ENGINEERING	30	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद नियमावली 1992, [illegible] [illegible] अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क [illegible] निर्धारित शुल्क [illegible] हेतु रू० 30150.00/- [illegible] रू० 25000.00/- प्रतिवर्ष [illegible] रू० 20000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क [illegible] शुल्क में [illegible] किया जाना आवश्यक होगा। [illegible] सत्र 2021-22 हेतु [illegible] किया जाता है [illegible] की [illegible] दर लागू होगी।

✓ संस्था को [illegible] प्राविधिक शिक्षा [illegible] संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना नियमावली 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

3

[illegible]

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

(सुनील कुमार सोनकर)

अधि०

पत्रांक- [illegible] दिनांक: 06/08/2021

प्रेषित,

[illegible], BHONWAL SCHOOL OF ENGINEERING, NATHUR BIJNOUR, SANTHRA ROAD, LUCKNOW

(सुनील कुमार सोनकर)

अधि०